न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर

बअनुवानः भंवरलाल वगै0 बनाम धापा वगै0 प्रा0पत्रसं0 02/120/2006

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा –212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा –212 आर0टी0एक्ट एवं आदेश–39 नियम–1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.11.2006 बाबत् मौके पर यथास्थिति बनाये रखने में संशोधन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:– (अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है। (ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है। (स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है ,तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिए। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। बाद मनन बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर पूर्व में प्रचलित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.11.2006 को संशोधित करते हुए अप्रार्थीगण को हाल **आराजी खसरा संख्या 102/11 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर** पर अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया जाता है कि **वे मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखे।** पत्रावली फैसल शुम्मार होकर बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी (अलवर) उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर) राज0	